प्रेस नोट 09/06/2024

महिला एच्छिक ब्यूरो के प्रयास से 04 दंपती साथ साथ रहने को हुए राजी, 38 मामलों में से 19 मामलों का हुआ निस्तारण-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में आज दिनांक 09.06.2024 को महिला एच्छिक ब्यूरो की बैठक पुलिस लाइन सभागर में सम्पन्न हुयी। इस दौरान एच्छिक ब्यूरो के सदस्यो के समक्ष कुल 38 मामले आये जिसमें एच्छिक ब्यूरो के सदस्यो के प्रयास से 19 मामलों का निस्तारण हुआ तथा 04 दंपति अन्नू/राजकुमार, जैनब/नफीस, सबिता/विजय, संगीता/अरविन्द आपसी मतभेद भुलाकर एक दुसरे के साथ रहने को राजी हुए। 02 मामले में एफआइआर दर्ज करने का निर्णय लिया गया तथा 13 मामले बन्द किये गये। एच्छिक ब्यूरो की बैठक में अर्चना उपाध्याय, सर्वेश दूबे, शाहिद पैरिस, मौलवी अरशद, उ0नि0 समरजीत यादव, म0मु0आ0 पुष्पा गुप्ता, पूनम पाल उपस्थित रही।

अवैध तमन्चा व कारतूस के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार-

दिनांक 08.06.2024 को थाना कोतवाली पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर अन्धा मोड़ भीटी के पास से अभियुक्त आशीष राय पुत्र अरूण राय निवासी अन्धा मोड़ भीटी थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ के कब्जे से एक अदद नाजायज तमन्चा व एक अदद खोखो कारतूस बरामद कर गिरफ्तार किया गया इस संबंध में उक्त अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 193/24 धारा 3/25 आयुद्ध अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

चोरी की मोटरसाईकिल के साथ एक शातिर गिरफ्तार-

दिनांक 08.06.2024 को थाना मधुबन पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सुचना पर सरफोरा बंधा के पास से अभियुक्त घनश्याम यादव पुत्र नगीना यादव निवासी बंधनपुर थाना मधुबन जनपद मऊ के कब्जे से चोरी की एक अदद मोटरसाईकिल हिरो स्प्लेडर (यूपी60एडब्लू9035) को बरामद कर गिरफ्तार किया गया जो थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0 137/24 धारा 379 भादवि0 से सम्बन्धित पाया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियोग में धारा 411 भादवि की बढोत्तरी कर चालान न्यायालय किया गया।

एक वांछित अभियुक्त तथा दो वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

आज दिनांक 09.06.2024 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना मधुबन पुलिस द्वारा जरिये मुखबिर की सूचना पर उच्छराचट्टी के पास से मु0अ0सं0 53/24 धारा 304 भादवि में प्रकाश में आये अभियुक्त प्रदीप चौहान पुत्र रामाधार चौहान निवासी हरनहवा थाना पडरौना जनपद कुशीनगर तथा मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा वारण्टी अभियुक्त सिवेश कुमार सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी करहा बाजार, अनिल राजभर पुत्र सुदामा राजभर निवासी इटौरा चौबेपुर थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।